

2020/00185

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

दिना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
15/20	88, 89, 91 RTA	डुण्डी	दवाडा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
दिनेश कोठे		बनाम	रामकिशन कोठे

वकील :- कृष्ण गोपाल मार्गव एडवोकेट **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

7²/₂₀ अभिभाषक प्राची द्वारा नोटिस अन्तर्गत धारा - 88, 89, 91 RTA विरुद्ध अप्राचीणों को इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया प्रमाण दर्ज सतिस्टर किया जावे तथा अप्राचीणों को जरिये समस्त तलब कर पत्रावली दिनांक 16/3/20 को पेश हो। - /

16/3/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपरिखिता प्रति 0 गण 1 ता प की ओर से श्री वृजसूषण शर्मा एडवो. का प्रकाश त नाम पेश हुआ जो शांति किं. किया गया जावे हेतु समय - पाया है वरते जावे पत्रावली दिनांक 22/4/20 को पेश हो। - /

22⁴/₂₀ कोरोना संक्रमण व लोकडाउन अज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में बाधित होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 19/5/20 को पेश हो।
 कृष्ण
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

19⁵/₂₀ कोरोना संक्रमण अज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में बाधित होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 16/6/20 को पेश हो।
 कृष्ण
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

10/10/22

पीठासीन अधिकारी के ~~अन्य कार्य में~~ व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक ... 30/11/22 ... को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

30/11/22

आज पीठासीन अधिकारी के ~~अन्य कार्य में~~ ^{अवकाश पर} व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक ... 25/01/23 ... को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

25-1-23

पत्रावली में डी नोटिस करीको उभा जकाद पत्र नही उभा कानुन मास्टे डी पत्रावली काठे जकाद डिफेंड 16-3-23 को पेश हो।

16/3/23

अभिभाषक जम हउताल
पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक ... 1/5/23 ... को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

17/7/23

पत्रावली मरक केमो के बाद पूर्ववत् स्थिति में आज पेश हुई। वकील पक्षी उपस्थित नही। न्यायालय के तीन बार काकाज पुकारवाई गई। कोई उपस्थित नही। प्रकरण रुक हाजिरी रुक पैरवी चारिन किया जाता है। पत्रावली पेशत 2/8/23 को पेश हाखिल उपस्थित हो।